पत्रांक–भवन बजट–46–विविध –19/2020–21................/

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
सभी मुख्य विद्युत अभियंता
भवन निर्माण विभाग, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– **भवन निर्माण विभाग के अधीनस्थ विभिन्न प्रमंडलों से प्राप्त अधियाचना प्रपत्र में योजना के विरूद्ध आवंटित की जानेवाली राशि के संबंध में स्पष्ट अनुशंसा अंकित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भवन निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के विरूद्ध राशि आवंटन के संबंध में अधीनस्थ प्रमंडलों से प्राप्त ऑनलाईन अधियाचना में प्रायः यह देखा जा रहा है कि संबंधित योजना के विरूद्ध आवंटित की जानेवाली राशि के संबंध में आपके स्तर से स्पष्ट अनुशंसा अंकित नहीं किया जाता है, बल्कि अधियाचना को मात्र आवंटन हेतु अग्रसारित कर दिया जाता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि अधियाचना के साथ PMIS Portal पर अद्यतन फोटोग्राफ, अद्यतन गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन, कार्य संतुष्टि प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख संलग्न नहीं रहने के बावजूद भी आपके द्वारा अधियाचना को आवंटन हेतु अग्रसारित कर दिया जाता है, जिसके कारण आवंटन की कार्रवाई में कठिनाईयाँ होती है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि विभिन्न योजनाओं हेतु अधीनस्थ प्रमंडलों से प्राप्त ऑनलाईन अधियाचना के साथ PMIS Portal पर अपलोड सभी यथा वांछित अभिलेखों की जाँच करते हुए योजना के विरूद्ध आवंटन योग्य राशि स्पष्ट रूप से अंकित कर अनुशंसा के साथ अधियाचना को अग्रसारित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 3204 (अ) **पटना, दिनांक–** 06/4/26

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।